न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान))

अपील संख्याः— 12/37/2018

अपीलार्थीः—
जगदीश प्रसाद सोनी दत्तक पुत्र मगन लाल सोनी निवासी दाऊजी के मन्दिर के पास बडेरिया पाडी,मुशी बाजार, अलवर।

प्रत्यर्थीः—
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

——:: निर्णय ::——

दिनांकः— 20—03—2018

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दिनांकः 28.08.2015 (जो लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट अलवर को दिनांकः 01.09.2017 को प्राप्त हुआ) के संबंध में लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट अलवर द्वारा वांछित सम्पूर्ण जानकारियॉ उपलब्ध नहीं कराई जाने एवं गोलमोल जवाब दिये जाने के कारण उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने/प्रार्थना—पत्रानुसार सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाने के कारणं लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 20.03.18 को उपस्थित आवें।
3. अपीलार्थी उपस्थित आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
4. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 586 दिनांक 09.03.18 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि "अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दिनांकः 28.08.2015 (जो लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट अलवर को दिनांकः 01.09.2017 को प्राप्त हुआ) के संबंध में लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट अलवर द्वारा अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0) के पत्रांकः 2365 दिनांकः 29.12.2017 से प्राप्त बिन्दुवार सूचना, पत्रांकः लो.सू.अ./विविध/2018/158 दिनांकः 23.01.18 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन—पत्र दिनांकः 28.08.2015 में जिस रूप में सूचना चाही जा रही है, तद्नुसार लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर संधारित नहीं है। उक्त सूचना में काल्पनिक प्रश्नों का समावेश किया गया है एवं सम्मानित करने के लिए मापदण्ड संबंधी विस्तृत जानकारी चाही गई है।"
5. पत्रावली के परीक्षणोपरान्त लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट अलवर द्वारा किया गया विनिश्चय दिनांकः 23.01.2018 उचित है। लोक सूचना अधिकारी से किन्हीं मापदण्डों/नियमों/परिपत्रों/आदेशों का परीक्षण

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

कर उन पर सूचना जारी किया जाना, राय, सुझाव व्यक्त करना, लोक सूचना अधिकारी के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है, कि वो उसके क्षेत्राधीन उपलब्ध सूचना, जिस रूप में संधारित है, तद्नुसार लोकहित में जारी करे, किसी नवीन रूप में जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निरस्त की जाती है।

6. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 20.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

20/03/18

(राजन विशाल)
जिला कलेक्टर,अलवर